रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस पॉलिसी

निवेशकों को भारी छूट देने की तैयारी कर रही प्रदेश सरकार

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। करीब तीन लाख करोड़ रुपये के रक्षा उद्योग में पैठ मजबूत करने के लिए यूपी सरकार डिफेंस पॉलिसी लाने की तैयारी में है। ये पॉलिसी डिफेंस कॉरिडोर के अतिरिक्त होगी। इसके तहत दुनिया भर की डिफेंस कंपनियों को आकर्षित करने के लिए जीपीएफ, स्टांप में छूट के साथ कैपिटल सब्सिडी और जमीन भी सस्ती दरों में दी जाएगी।

ये फैसला डिफेंस कॉरिडोर के सकारात्मक फीडबैक के बाद लिया गया है। जल्द प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में रक्षा और एयरोस्पेस तंत्र को मजबूत करने के लिए यूपी रक्षा और एयरोस्पेस (संशोधन) नीति का नया मसौदा तैयार किया है। नई नीति में निवेशकों को पूंजी सब्सिडी, परिवहन सब्सिडी, पेटेंट और ट्रेडमार्क शुल्क के रूप में अतिरिक्त छूट और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में राहत दी जाएगी।

नई नीति से संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन में आसानी होगी। डिफेंस गलियारे के छह नोड्स में लगभग 5,000 हेक्टेयर विकसित भूमि पहले ही चिह्नित की जा चुकी है। झांसी और चित्रकूट में इकाइयों के लिए पूंजीगत सब्सिडी को अधिकतम 500 करोड़ रुपये तक बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। नीति में पहले आगरा, अलीगढ़, लखनऊ और कानपुर नोड्स में रक्षा और एयरोस्पेस इकाइयों को 500 करोड़ रुपये तक 7 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी का प्रावधान था।

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नई नीति घरेलू और वैश्विक रक्षा और एयरोस्पेस में यूपी की हिस्सेदारी बढ़ाएगी। इसका उद्देश्य डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा विनिर्माण, अनुसंधान और संबद्ध उद्योगों को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि रक्षा उद्योग से ढाई लाख नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। अभी तक 150 रक्षा विनिर्माण सौदे यूपी की इकाइयों ने किए हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन 1.26 खरब रुपये से ज्यादा था, जो इस वित्त वर्ष में 1.5 खरब होने की उम्मीद है। यूपी में पहले ही पांच आयुध इकाइयां, एचएएल, डीएमएसआरडीई जैसे उत्कृष्ट संस्थान हैं। साथ ही 40 से ज्यादा रक्षा उद्योग से जुड़ी बड़ी इकाइयां स्थापित हैं। लगभग 1000 छोटी इकाइयां पहले ही काम कर रही हैं।